न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौकरिया
आर.ए.एस

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
34 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024	12.06.2024	10.10.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

..........प्रार्थी

वनाम

1–श्री राजकुमार जैन पुत्र श्री खजान मल जैन निवासी डिग्गी रोड सोहेला तह. पीपलू जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स जैन किराणा स्टोर डिग्गी रोड सोहेला तह. पीपलू जिला टोंक राज0। पिनकोड–304801 मोबाईल नं.–9602417647

2–मैसर्स जैन किराना स्टोर डिग्गी रोड सोहेला तह. पीपलू जिला टोंक राज0।

3–श्री अशोक कुमार मित्तल पुत्र श्री हरी बाबू मित्तल निवासी पुरानी अनाज मण्डी कामा गेट डीग भरतपुर राज0 प्रोपरायटर मैसर्स के. आर. सेल्स कॉरपोरेशन दुकान नं0 बी–70, राजधानी कृषि मण्डी सीकर रोड जयपुर राज0। पिनकोड–302013

4–मैसर्स के. आर. सेल्स कॉरपोरेशन दुकान नं0 बी–70, राजधानी कृषि मण्डी सीकर रोड जयपुर राज0। पिनकोड–302013

5–श्री शैलेशभाई अशोकभाई पेन्सलवार निवासी केयर ऑफ सारथी, आर.एम.धारीवाल टॉउनशिप, रिद्दम अस्पताल के पीछे, व्यारा, जिला वापी गुजरात नॉमिनपी मैसर्स ओम सारथी डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 91–95, ब्लॉक नं0 274–276, सत्यम इण्ड. ईस्टेट, ग्राम बेडकुवानाजीक, व्यारा जिला वापी गुजरात। पिनकोड–394650 मो0 9979393466।

6–मैसर्स ओम सारथी डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 91–95, ब्लॉक नं0 274–276 सत्यम इण्ड. ईस्टेट, ग्राम बेडकुवानाजीक, व्यारा जिला वापी गुजरात। पिनकोड–394650

..........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(iv) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्रीमति रितिका जैन उपस्थित।

:–निर्णय–:

दिनांक 10.10.25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.09.2023 को समय 03:30 पी.एम. पर मैसर्स जैन किराणा स्टोर डिग्गी रोड सोहेला तह. पीपलू जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता की हैसियत से श्री राजकुमार जैन पुत्र श्री खजान मल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स जैन किराणा स्टोर डिग्गी रोड सोहेला तह. पीपलू

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी व अन्य खाद्य पदार्थ आदि का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री राजकुमार जैन पुत्र श्री खजान मल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राजकुमार जैन पुत्र श्री खजान मल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. / मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे गुड, तेल, घी, मसालो के साथ-साथ दुकान की रैक मे लगभग 14-15 मूल पैक पैक्ड अवस्था मे प्रत्येक नग 500-500 एम.एल. **घी (नन्द कृष्णा ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसका निरीक्षण करने पर मिलावट की शका होने पर विक्रेता श्री राजकुमार जैन पुत्र श्री खजान मल जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री राजकुमार जैन पुत्र श्री खजान मल जैन के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी (नन्द कृष्णा ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर पीसी-01-23 एवं पैकिंग की दिनांक जनवरी-2023 थी, को ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 500-500 एम.एल. पैक के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (नन्द कृष्णा ब्राण्ड)** 4 मूल पैक प्रत्येक 500-500 एम.एल. पैक को ज्यों का त्यों अलग-अलग खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार 4 भाग तैयार किये, नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3820 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3820 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री राजकुमार जैन पुत्र श्री खजान मल जैन निवासी डिग्गी रोड सोहेला तह. पीपलू जिला टोंक मैसर्स जैन किराणा स्टोर डिग्गी रोड सोहेला तह. पीपलू जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स के. आर. सेल्स कॉरपोरेशन दुकान नं0 बी-70, राजधानी कृषि मण्डी सीकर रोड जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। मैसर्स के. आर. सेल्स ने बतौर वारन्टी मैसर्स ओम सारथी डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 91-95 ब्लॉक नं0 274-276, सत्यम इण्ड. ईस्टेट, ग्राम बेडकुवानाजीक, व्यारा जिला वापी गुजरात का बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2023 / 986 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस / 3819 / एफ / 2023 / 3895 दिनांक 26.09

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एलएस / 3819 / एक्ट / 2023 / 3898 दिनांक 26.09.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **घी (नन्द कृष्णा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) नं 2.3.7(2) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्रीमति रितिका जैन उपस्थित हुये एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी (नन्द कृष्णा ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त **घी (नन्द कृष्णा ब्राण्ड)** जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** व कॉन्ट्रावेन (**Contravene**) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी (नन्द कृष्णा ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** व कॉन्ट्रावेन (**Contravene**) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 5,00,000/—(अक्षरे पांच लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद मे निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में जब्तशुदा सैंपल को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0